न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 117/2017 दायरा दिनांक : 18.07.2017

उनवान

भवानीशंकर पुत्र श्री देवलाल जी, जाति धाकड, निवासी ग्राम भंवरगढ, तहसील किशनगंज, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

महावीर पुत्र श्री देवलाल जी, जाति धाकड, निवासी ग्राम भंवरगढ, तहसील किशनगंज, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री केदार भारद्वाज अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री ओ पी मेहता अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 02.05.2018

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज के प्रकरण संख्या – 39/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 22.06.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट ने अपीलांट के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर यह कथन किया कि ग्राम भंवरगढ़ तहसील किशनगंज में खतौनी संख्या नयी 520, पुरानी 499 में खसरा नम्बर 102 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 103 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा कुल दो किता की 5 बीघा 14 बिस्वा आराजी स्थित है जो वादी के कब्जे काश्त एवं खाते की है । प्रतिवादीगण वादी के कब्जे में व्यवधान उत्पन्न करते हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है । अतः दावा वादी स्वीकार कर प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाये कि वादी के शांतिपूर्ण कब्जे काश्ते हस्तक्षेप न करें। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 22.06.2017 को दावा वादी स्वीकार किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि पत्रावली जवाब दावे में लम्बित थी । जवाबदावा पेश करने के लिए समय मांगा गया था और बिना विधिवत सूचना और सहमति के कैम्प कोर्ट में रखी गयी । पत्रावली वादी की हाजरी दर्ज कर एक पक्षीय निर्णय पारित किया है । किसी प्रकार का राजीनामा नहीं हुआ है । सी पी सी की पालना नहीं की गई है । अपीलांट को जवाबदेही का अवसर नहीं दिया गया है । अपीलांट वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई । लिखित बहस में उनके द्वारा कथन किया गया कि पत्रावली लोक अदालत में रखी गई परन्तु किसी प्रकार का राजीनामा नहीं हुआ । पत्रावली जवाबदावे में लम्बित थी । प्रतिवादी को बिना विधिवत सूचना दिये कैम्प कोर्ट में रखी गयी । कैम्प कोर्ट में रखने की कोई स्वीकृति नहीं दी गई है, कोई राजीनामा नहीं हुआ है । वादी क्लीन हैण्ड से नहीं आये हैं । आराजी के बाबत एक इकरारनामा प्रतिवादी के पक्ष में तहरीर कर कब्जा भी दिया गया है । अपीलांट बहैसियत क्रेता काबिज काश्त है । जवाबदेही का अवसर नहीं मिला है और न ही मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेंट को आवंटनशुदा है । अपीलांट यह कथन करते हैं कि उन्होंने आराजी इकरारनामे के आधार पर क्रय की है तो उन्हें स्पेसिफिक परफारमेन्स (Specific performance) का दावा करना चाहिए । आराजी रेस्पोडेंट के खाते की है, आवंटनशुदा है । अपीलांट को कोई अधिकार वादग्रस्त आराजी के बाबत प्राप्त नहीं है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली जवाबदावे में लम्बित थी उसको लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में वादी उपस्थित हुआ है । प्रतिवादी उपस्थित नहीं हुआ है । पक्षकारों के द्वारा किसी प्रकार का राजीनामा भी पेश नहीं किया गया है और उसी दिन दावा वादी स्वीकार किया गया है । लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिसमें उभयपक्ष ने उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश किया हो । उसके अभाव में सी पी सी के प्रावधानों के अनुसार जवाब दावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर

तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर तनकीवार निर्णय पारित किया जाना आवश्यक होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.06.2017 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट प्रतिवादीगण से जवाबदावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 31.07.2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 02.05.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा